मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-11-2/2004/1-10 भोपाल, दिनांक 1-3-2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय.—ट्रेप प्रकरण में पकड़े गये अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण.

उपरोक्त विषय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-15-7/87प्रसको/एक, दिनांक 24-7-1987 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ट्रेप में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा यदि साक्ष्यों अथवा अन्वेषण पर किसी प्रकार का प्रभाव डाला जाता है तो विशेष पुलिस स्थापना के अनुरोध पर उसका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया जाना चाहिये. इसी के अनुक्रम में परिपत्र क्र. एफ. 15-1/94/1-10, दिनांक 5-1-1996 द्वारा ट्रेप प्रकरण के अलावा छापे के प्रकरणों में भी लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना के अनुरोध पर संबंधित कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्यत्र करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं.

शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि ट्रेप के प्रकरण एवं छापे के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी व कर्मचारी को ऐसे पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये जहां वह साक्ष्य को प्रभावित न कर सके तथा ऐसे व्यक्तियों को फील्ड में पोस्टिंग भी नहीं दी जावे.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.